न्यायालय भू–प्रबन्ध अधिकारी एवं पदेन राजस्व अपील प्राधिकारी सीकर

पीठासीन अधिकारी : बलदेवाराम धोजक RAS

अपील संख्या 74/2021

1 कुरड़ाराम पुत्र भोलाराम (दौरान आवेदन पत्र फौत)
1/1 संतोष देवी पत्नी स्व. कुरड़ाराम आयु 55 वर्ष
1/2 राजवीर पुत्र स्व. कुरड़ाराम आयु 31 वर्ष
1/3 सुरेन्द्र पुत्र स्व. कुरड़ाराम आयु 27 वर्ष
1/4 शिला पुत्री स्व. कुरड़ाराम आयु 33 वर्ष
1/5 सुनिता कुमारी पुत्री स्व. कुरड़ाराम आयु 25 वर्ष
1/6 विनोद देवी पुत्री स्व. कुरड़ाराम आयु 37 वर्ष
समस्त जाति मेघवाल निवासीगण ढ़ाणी काणिका की तन ग्राम खेदड़ा की ढ़ाणी तहसील उदयपुरवाटी जिला झुन्झुनू (राज.)

अपीलांट

बनाम

1 नत्थूराम पुत्र गणेशराम जाति मेघवाल निवासी गुढ़ा चंवरा रोड़ ग्राम गुढ़ागौड़जी तहसील उदयपुरवाटी जिला झुन्झुनू (राज.)।
2 अमर सिंह पुत्र मालाराम जाति जाट
3 निहाली पत्नी मक्खनलाल जाति जाट
4 महावीर प्रसाद पुत्र मक्खनलाल जाति जाट
5 राजकुमार पुत्र मक्खनलाल जाति जाट
6 सन्तोष पत्नी भागीरथमल जाति गुर्जर
7 हरिराम पुत्र रामेश्वरलाल जाति जाट
8 निवासी पुत्र लादुराम जाति जाट
9 बस्तीराम पुत्र लादुराम जाति जाट

भू प्रबन्ध अधिकारी एवं
पदेन राजस्व अपील अधिकारी
सीकर (कैम्प झुन्झुनूं)

2

10 भानी पत्नी लादुराम जाति जाट

11 मंजू देवी पत्नी धर्मवीर जाति जाट

समस्त निवासीगण गुढ़ा चंवरा रोड़, ढ़ाणी काणिका की तहसील उदयपुरवाटी जिला झुन्झुनू।

12 कॉरपोरेशन बैंक शाखा टोडी जरिये शाखा प्रबन्धक।

13 बड़ौदा राजस्थान क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक शाखा गुढ़ागौड़जी जरिये शाखा प्रबन्धक।

14 लैण्ड होल्डर जरिये तहसीलदार उदयपुरवाटी तहसील उदयपुरवाटी जिला झुन्झुनू।

रेस्पोडेंट

अपील विरूद्ध आदेश दिनांक 31.08.2021
न्यायालय उपखण्ड अधिकारी उदयपुरवाटी
बमुकदमा उनवानी कुरड़ाराम बनाम नत्थूराम
वगैरह मु.नं. 114/2020 आवेदन पत्र अन्तर्गत
धारा 251 क राजस्थान काश्तकारी अधिनियम

उपस्थिति :

1. श्री राजेश बागोरिया, अधिवक्ता अपीलांट
2. श्री मुनेश कुमार धानियां, अधिवक्ता अपीलांट

–निर्णय–

दिनांकः– 6.6.24

भू प्रबन्ध अधिकारी एवं
पदेन राजस्व अपील अधिकारी

यह अपील विचारण न्यायालय उपखण्ड अधिकारी उदयपुरवाटी द्वारा मुकदमा नम्बर 114/2020 में पारित निर्णय दिनांक 31.08.2021 के विरूद्व प्रस्तुत हुई है।

प्रकरण के तथ्य संक्षेप में इस प्रकार है कि विचारण न्यायालय में वादिया अपीलांट ने प्राथना पत्र 251 ए बाबत भूमि खसरा नम्बर 1302, 1303 वाके ग्राम ग्राम ढाणी कणिका का प्रस्तुत किया। विचारण न्यायालय ने बाद सुनवाई विचाराधीन निर्णय से वादिया अपीलांट को प्रार्थना पत्र 251 ए खारिज कर दिया। इससे व्यथित होकर यह अपील प्रस्तुत की गई है।

बहस उभयपक्ष सुनी गई। विद्वान अधिवक्ता अपीलांट ने तर्क दिया कि नायब तहसीलदार गुढ़ागौड़जी द्वारा मौके की जो जांच रिपोर्ट दिनांक 26.03.2021 को तैयार कर दिनांक 30.03.2021 को विचारण न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत की गई थी उक्त रिपोर्ट पर प्रार्थी कुरड़ाराम (मृतक) के हस्ताक्षर थे तथा विपक्षीगण ने हस्ताक्षर करने से मना कर दिया। उक्त रिपोर्ट नायब तहसीलदार गुढ़ागौड़जी ने मौके पर जाकर सही तैयार की थी परन्तु विचारण न्यायालय के समक्ष दिनांक 13.07.2021 को नायब तहसीलदार गुढ़ागौड़जी की मौका रिपोर्ट पर आपति बाबत एक प्रार्थना पत्र रेस्पोडेन्ट नं. 1 की ओर से प्रस्तुत हुआ। रेस्पोडेन्ट नं. 1 की आपति स्वीकार कर नायब तहसीलदार गुढ़ागौड़जी की मौका जांच रिपोर्ट दिनांक 26.03.2021 को अपीलान्टस को बिना सुने ही खारिज कर दिया गया। प्रार्थीगण/अपीलान्टस की भूमि खसरा नम्बर 1302, 1303 में रिहायश के लिए मकानात बने हुये है तथा पशु मवेशियों के लिए भी मकानात बने हुये है, कृषि भूमि काश्त के लिए कुआ बन हुआ है। अपीलान्टस के पास प्रस्तावित रास्ते के अलावा अन्य कोई अपनी कृषि भूमि में बने मकानात अपनी जोत अथवा कृषि कार्य एवं खेत में आने जाने के लिए कोई वैकल्पिक रास्ता नहीं है। तहसीलदार उदयपुरवाटी ने अपनी मौका जांच रिपोर्ट में जो रास्ता दिखाया है वह रास्ता सरासर मिथ्या एवं राजनैतिक दबाव के कारण काल्पनिक दिखाया है मौके पर ऐसा कोई रास्ता उपलब्ध नहीं है। तहसीलदार उदयपुरवाटी की रिपोर्ट

भू-प्रबन्ध अधिकारी एवं
पदेन राजस्व अपील अधिकारी
सीकर (कैम्प झुन्झुनूं)

पर किसी भी पक्षकार के हस्ताक्षर नहीं है उक्त रिपोर्ट को देखने एवं पढ़ने से यह प्रतीत हो रहा है कि तहसीलदार उदयपुरवाटी मौके पर गया ही नहीं केवल फोर्मल जांच रिपोर्ट पटवारी से तैयार करवाई गई है। अपीलान्ट राजवीर ने भूमि खसरा नम्बर 1302 में कुछ भूमि आवास में रूपान्तरण करवाई है परन्तु उक्त भूमि में कोई मकानात बने हुये नहीं है पूर्व से खसरा नम्बर 1303 में अपीलान्टस के बने मकानों की रिपेयरिंग के लिए उक्त खसरा नम्बर 1302 में से कुछ भूमि आवास में रूपान्तरण करवाई है ताकि पट्टा आदि लेकर बैंक से ऋण ले सके। उक्त आवास में रूपानतरण करवाई गई भूमि के सहारे आने जाने के लिए रास्ता अपनी भूमि में ही है परन्तु तहसीलदार उदयपुरवाटी ने अपनी मौका जांच रिपोर्ट दिनांक 28.08.2021 में जो रास्ता दिखाया है वह सरासर मिथ्या एवं काल्पनिक दिखाया है। दौराने आवेदन पत्र आवेदक कुरड़ाराम की मृत्यु होने के बाद एवं कुरड़ाराम के वारिसान रिकार्ड पर आने के बाद भी अधिनस्थ न्यायालय ने कुरड़ाराम के वारिसान का नाम अपने आदेश में अंकित नहीं किया। विचारण न्यायालय द्वारा पारित विचाराधीन निर्णय विधि विरूद्ध है। अपील स्वीकार की जावें।

विद्वान अधिवक्ता रेस्पोडेंट ने तर्क दिया कि प्रार्थीगण/अपीलांट के खसरा नम्बर 1302 व 1303 की भूमि में जाने के लिए सैकड़ो वर्षो पूर्व से ही मौके पर मौजुद आम रास्ता गुढ़ा से चंवरा जाने वाली मुख्य सड़क से आगे ग्राम गुढ़ा गौड़जी के खसरा नम्बर 1328 गैर मुमकिन नाला में से होकर खसरा नम्बर 1324,1300,3220/1300 की भूमि में से होकर मौके पर रास्ता मौजुद है तथा उसी रास्ता को दर्शाकर प्रार्थीगण अपीलांट संख्या 1/2 राजवीर ने भूमि ग्राम कणिका की ढ़ाणी के खसरा नम्बर 1302 में से 0.11 हैक्टेयर भूमि प्रार्थी ने अपने नाम से आवासीय परिवर्तन गैर मुमकिन आबादी के करवाया है जिसके खसरा नम्बर 1575/1302 दर्ज है जिसमे भी मौके पर गुढ़ागौड़जी के खसरा नम्बर 1328 की भूमि में से होकर रास्ता को कणिका की ढ़ाणी के खसरा नम्बर 1302 की भूमि में दर्शाया गया है जिस कारण भी प्रार्थीगण की भूमि में जाने के लिए

भू-प्रबन्ध अधिकारी एवं
पदेन राजस्व अपील अधिकारी
सीकर (कैम्प झुन्झुनूं)

वैकल्पिक रास्ता मौजूद है। वैकल्पिक रास्ता उपलब्ध होने पर धारा 251ए के तहत आवेदन पोषणीय नही होता है। ऐसी स्थिति में विचारण न्यायालय में विचाराधीन निर्णय से आवेदक का आवेदन खारिज करने में कोई विधिक त्रुटि नही की है। अपील खारिज की जावें।

हमने पत्रावली का अवलोकन किया एवं विद्वान अधिवक्ता उभयपक्ष की बहस पर मनन किया। पत्रावली के अवलोकन से स्पष्ट है कि नायब तहसीलदार गुढ़ागौड़जी द्वारा मौके की जो जांच रिपोर्ट दिनांक 26.03.2021 को तैयार कर दिनांक 30.03.2021 को विचारण न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत की गई थी उक्त रिपोर्ट पर प्रार्थी कुरड़ाराम (मृतक) के हस्ताक्षर थे तथा विपक्षीगण ने हस्ताक्षर करने से मना कर दिया। विचारण न्यायालय के समक्ष दिनांक 13.07.2021 को नायब तहसीलदार गुढ़ागौड़जी की मौका रिपोर्ट पर आपति बाबत एक प्रार्थना पत्र रेस्पोडेन्ट नं. 1 की ओर से प्रस्तुत हुआ। रेस्पोडेन्ट नं. 1 की आपति स्वीकार कर नायब तहसीलदार गुढ़ागौड़जी की मौका जांच रिपोर्ट दिनांक 26.03.2021 को अपीलान्टस को बिना सुने ही खारिज कर दिया गया। प्रार्थीगण/अपीलान्टस की भूमि खसरा नम्बर 1302, 1303 में रिहायश के लिए मकानात बने हुये है तथा पशु मवेशियों के लिए भी मकानात बने हुये है, कृषि भूमि काश्त के लिए कुआ बना हुआ है। अपीलान्टस के पास प्रस्तावित रास्ते के अलावा अन्य कोई अपनी कृषि भूमि में बने मकानात अपनी जोत अथवा कृषि कार्य एवं खेत में आने जाने के लिए कोई वैकल्पिक रास्ता नहीं है। तहसीलदार उदयपुरवाटी ने अपनी मौका जांच रिपोर्ट में जो रास्ता दिखाया है मौके पर ऐसा कोई रास्ता उपलब्ध नहीं है। तहसीलदार उदयपुरवाटी की रिपोर्ट पर किसी भी पक्षकार के हस्ताक्षर नहीं है अपीलान्ट राजवीर ने भूमि खसरा नम्बर 1302 में कुछ भूमि आवास में रूपान्तरण करवाई है परन्तु उक्त भूमि में कोई मकानात बने हुये नहीं है पूर्व से खसरा नम्बर 1303 में अपीलान्टस के बने मकानों की रिपेयरिंग के लिए उक्त खसरा नम्बर 1302 में से कुछ भूमि आवास में रूपान्तरण करवाई है ताकि पट्टा आदि लेकर बैंक से ऋण ले सके। उक्त आवास में रूपानतरण करवाई गई भूमि के सहारे आने जाने के लिए रास्ता अपनी भूमि में ही है

भू-प्रबन्ध अधिकारी एवं
पदेन राजस्व अपील अधिकारी
सीकर (कैम्प झुन्झुनूं)

परन्तु तहसीलदार उदयपुरवाटी ने अपनी मौका जांच रिपोर्ट दिनांक 28.08.2021 में जो रास्ता दिखाया है यह रास्ता मौके पर मौजुद नहीं है। दौराने सुनवाई आवेदन पत्र आवेदक कुरड़ाराम की मृत्यु होने के बाद एवं कुरड़ाराम के वारिसान रिकार्ड पर आने के बाद भी अधिनस्थ न्यायालय ने कुरड़ाराम के वारिसान का नाम अपने आदेश में अंकित नहीं किया है। ऐसी स्थिति में विचारण न्यायालय द्वारा पारित विचाराधीन निर्णय विधि सम्मत नहीं माना जा सकता है। विचारण न्यायालय द्वारा पारित विचाराधीन निर्णय विधि विरूद्ध है।

उपरोक्त विवेचन के आधार पर अपील अपीलांट स्वीकार की जाकर विचारण न्यायालय द्वारा पारित विचाराधीन निर्णय अपास्त किया जाता है एवं प्रकरण विचारण न्यायालय को इन निर्देशों के साथ प्रति प्रेषित किया जाता है कि उभयपक्ष की उपस्थिति में तहसीलदार से मौका रिपोर्ट प्राप्त कर बाद सुनवाई प्रकरण में गुणावगुण पर पुनः विधि सम्मत निर्णय पारित करें। उभयपक्ष विचारण न्यायालय के समक्ष दिनांक 01.07.2024 को उपस्थिति देवें।

निर्णय आज दिनांक 6.6.24 को सरे इजलास सुनाया गया।

(बलदेवाराम धोजक)
भू–प्रबन्ध अधिकारी एवं
पदेन राजस्व अपील प्राधिकारी,
सीकर